प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला बीकानेर – **थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो जयपुर**............वर्ष ....**2022**................
2. प्र.इ.रि.सं......422......../**2022**............. दिनांक 21.10.2022
   - (I) * अधिनियम – **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन 2018)**. धारा – **7......**
   - (II) * अधिनियम ....धारा – ....
   - (III) * अधिनियम..............................–.............................. धाराएं....................–......................
   - (IV) * अन्य अधिनियम एवं धाराएं ....–..
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ....390...............समय........4.15PM

   (ब) अपराध घटने का दिन व समय– शुक्रवार **दिनांक 08.07.2022**

   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक – ....07.07.2022 वक्त 04.05 पी.एम..... ....
4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक – **लिखित**
5. घटनास्थल :–

   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – **दक्षिण–पूर्व दिशा 50 किमी**

   (ब) पता – **कार्यालय पटवारी, पटवार हल्का रायसर तहसील नोखा जिला बीकानेर**

   बीटसंख्या.......–.............जुरायमदेही सं..........................

   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना ......–................................
6. परिवादी /सूचनाकर्ता :–

   (अ) नाम – **श्री पूनमराम**

   (ब) पिता/पति का नाम – **श्री पेमाराम**

   (स) जन्म तिथि/आयु – **42 वर्ष**

   (द) राष्ट्रीयता – **भारतीय**

   (य) पासपोर्ट संख्या.................. जारी होने की तिथि...... जारी होने की जगह ....

   (र) पेशा – **खेती व मजदूरी**

   (ल) पता – **गांव रायसर तहसील नोखा जिला बीकानेर**
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–

   (1) श्रीमती अन्नी पुत्री श्री कुम्माराम निवासी ग्राम पोस्ट अलाय तहसील व जिला नागौर हाल पटवारी पटवार मण्डल रायसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :– **कोई विलम्ब नहीं।**
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)......
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य ....–..
11. पंचनामा यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....–..
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये) :–

महोदय,

निवेदन है कि दिनांक 07.07.2022 को श्री महावीर प्रसाद शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मन् पुलिस निरीक्षक गुरमेल सिंह को अपने कक्ष में बुलाकर अपने पास बैठे व्यक्ति का परिचय श्री पूनमराम पुत्र श्री पेमाराम मेघवाल जाति मेघवाल निवासी रायसर तहसील नोखा जिला बीकानेर होना बताया तथा श्री पूनमराम का हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर परिवादी श्री पूनमराम के प्रार्थना पत्र पर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये। जिस पर मैं परिवादी श्री पूनमराम व उसका प्रार्थना पत्र साथ लेकर मेरे कक्ष में पुहंचा। परिवादी श्री पूनमराम के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। परिवादी श्री पूनमराम ने प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि "मेरे दादा रामचन्द्र ने मेरे पिता पेमाराम, काका डालाराम, हरजीराम, मूलाराम के ग्राम रायसर की कृषि भूमि में से 4.84 हैक्टर भूमि गिफ्टडीड दिनांक 19.01.2022 को तहसील कार्यालय में की और नामान्तरण के लिए सम्पूर्ण कागजात पटवारी को दे दिया। महोदयजी 15 दिन बाद हल्का पटवारी श्रीमती अन्नी को मैं, मेरा भाई किशनाराम मिले तो पटवारी ने 5 हजार रूपये मांगे जो प्रति व्यक्ति एक एक हजार कुल 5000/- मांगे लेकिन हम गरीब मजदूर 5 माह में रूपये कर नहीं सके। जब मैं कल दिनांक 6.7.2022 को पटवारी अन्नी से मिला और इन्तकाल दर्ज नहीं करने के बारे में पूछा तो सीधा कह दिया पहले 5 हजार रूपये लाओ। अतः आप से निवेदन है कि हमारा काम बिना रिश्वत दिये करवाने व रिश्वत मांगने की जांच करवाकर उचित कानूनी कार्यवाही करने का कष्ट करे। प्रार्थना पत्र परिवादी को पढकर सुनाया तो प्रार्थना पत्र में अंकित बात सही होनी बताई। दरियाफ्त पर यह भी बताया कि मेरे दादा ने मेरे पिता व मेरे तीन चाचा के नाम 4.84 हैक्टर भूमि गिफ्ट डीड की है तथा नामान्तरण के लिए कागजात हमारी ग्राम पंचायत रायसर की पटवारी श्रीमती अन्नी को मैं व मेरे चचेर भाई किशनाराम के साथ जाकर दिये थे। मैं पटवारी के पास नहीं गया था किशन ने ही पटवारी को कागज दिये थे। किशन ने मुझे आकर बताया कि पटवारी श्रीमती अन्नी नामान्तरण दर्ज करने के बदले पांच हजार रूपये रिश्वत के मांगे। हमने रिश्वत के पैसे नहीं दिये तो पटवारी ने हमारा नामान्तरण दर्ज नहीं किया है। हमारी पटवारी से कोई रंजिश नहीं है, ना ही पटवारी से हमारा कोई उधारी का लेन देन बकाया है। मैं पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूं। श्री पूनमराम ने अपने पिता व चाचा के नाम हुई गिफ्टडीड की फोटो प्रति पेश की जिस पर परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कागजात की गई। परिवादी के प्रार्थना पत्र व दरियाफ्त पूछताछ पर मामला प्रथम दृष्टया पीसी एक्ट की परिधि में आना पाया जाने पर परिवादी पूनमराम को रिश्वत मांग सत्यापन का तरीका बताने पर परिवादी ने बताया कि मैं कल दिनांक 08.07.2022 को तहसील भवन नोखा के पीछे पटवारी श्रीमती अन्नी के कार्यालय में जाकर उनसे बातचीत कर रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवा दूंगा। श्री योगेन्द्रसिंह कानि 482 को अपने कक्ष में बुलाकर श्री योगेन्द्रसिंह कानि व परिवादी श्री पूनमराम का आपसी परिचय करवाया गया। श्री योगेन्द्रसिंह कानि को परिवादी के प्रार्थना पत्र के तथ्य बताये गये। डिजिटल टेप रिकॉर्डर को चालू, बंद करने व वार्ता रिकॉर्ड करने का तरीका श्री पूनमराम व श्री योगेन्द्रसिंह कानि को बताया गया। परिवादी व श्री योगेन्द्रसिंह कानि की उपस्थिति में डिजीटल टेप रिकॉर्डर में नया मैमोरी कार्ड डाला गया। परिवादी ने बताया कि मैं कल दिनांक 08.07.2022 को तहसील नोखा के आस पास श्री योगेन्द्रसिंह कानि को 11 बजे के लगभग मिल जाउंगा, आप श्री योगेन्द्रसिंह कानि को डिजीटल टेप रिकॉर्डर देकर मेरे पास भेज देना। मैं श्रीमती अन्नी देवी पटवारी से बातचीत करके रिश्वत की मांग का सत्यापन करवा दूंगा। जिस पर परिवादी व श्री योगेन्द्रसिंह कानि के मोबाईल नम्बर एक दुसरे को दिलवाये गये। श्री योगेन्द्रसिंह कानि को हिदायत की गई कि आप डिजीटल टेप रिकॉर्डर लेकर कल दिनांक 08.07.2022 को वक्त 11 एएम के लगभग नोखा तहसील के आस पास पहुंचकर परिवादी से सम्पर्क कर रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवावे। तत्पश्चात परिवादी श्री पूनमराम को कल दिनांक 08.07.2022 को वक्त 11 एएम तहसील नोखा के आस पास श्री योगेन्द्रसिंह कानि को मिलने की हिदायत कर रवाना किया गया।

दिनांक 08.07.2022 वक्त 09:10 ए.एम पर श्री योगेन्द्रसिंह कानि को डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर आवश्यक हिदायत कर नोखा रवाना किया गया, जिसनें वक्त 04:30 पी.एम पर श्री योगेन्द्रसिंह कानि कार्यालय हाजा पर उपस्थित होकर डिजीटल टेप रिकॉर्डर मन् पुलिस निरीक्षक को पेश कर बताया कि आरोपी पटवारी की उपस्थिति की जानकारी मिलने पर मैंने डिजीटल टेप रिकॉर्डर चालू करके परिवादी श्री पूनमराम को देकर परिवादी को आरोपी से सम्पर्क करने हेतु आरोपी के कार्यालय के लिए रवाना किया गया। मैं आस पास गोपनीय रूप से मुकीम हुआ। कुछ समय बाद परिवादी श्री पूनमराम मेरे पास आया तो मैंने डिजीटल टेप रिकॉर्डर बन्द करके मेरे पास रख लिया। परिवादी ने मुझे बताया कि मैं पटवारी श्रीमती अन्नी से उनके कार्यालय में मिला था। पटवारी ने मेरे पिता व चाचा के नाम इन्तकाल दर्ज करने की एवज में 500 या 1000 रूपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से रिश्वत के मांगे है। मैंने पटवारी से हुई बातचीत को ब्यूरो के टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया है। डिजीटल टेप रिकॉर्डर को श्री योगेन्द्रसिंह कानि की उपस्थिति में कार्यालय कम्प्युटर से कनेक्टर कर परिवादी पूनमराम व आरोपी श्रीमती अन्नी पटवारी के मध्य हुई वार्ता को सुना तो

परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों की पुष्टि हुई। डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड मन् पुलिस निरीक्षक के पास सुरक्षित रखा गया।

दिनांक 11.07.2022 वक्त 11:00 ए.एम पर परिवादी श्री पूनमराम ने उपस्थित होकर बताया कि दिनांक 08.07.2022 को श्री योगेन्द्रसिंह कानि डिजीटल टेप रिकॉर्डर लेकर तहसील कार्यालय नोखा के पास मुझे मिले थे। पटवारी श्रीमती अन्नी अपने ऑफिस में आने पर श्री योगेन्द्रसिंह ने मुझे डिजीटल टेप रिकॉर्डर चालू करके दिया। मैं पटवारी श्रीमती अन्नी से उनके कार्यालय नोखा तहसील के पास मिला तो उन्होने मेरे पिताजी व मेरे चाचा के नाम इन्तकाल दर्ज करने की एवज में 500 या 1000 रूपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से रिश्वत के मांगे। मैंने पटवारी से हुई बात को ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया था। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री पूनमराम व श्री योगेन्द्रसिंह कानि की उपस्थिति में ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर को कार्यालय कम्प्युटर से कनेक्ट कर रिकॉर्डेड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 08.07.2022 को सुन सुन कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई गई। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से स्पष्ट है कि आरोपिया श्रीमती अन्नी पटवारी पटवार हल्का रायसर द्वारा परिवादी श्री पूनमराम के पिता व उसके चाचाओं/चाची के नाम इन्तकाल दर्ज करने की एवज में प्रत्यके के 500—500 रूपये या 1000—1000 रूपये हिसाब से रिश्वत की मांग करना पाया गया है। वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री योगेन्द्रसिंह कानि से टाईप करवाई गई। डिजीटल टेप रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड वार्ता की क्लीप को एक नये पेन ड्राईव में कॉपी करवाकर उक्त पेन ड्राईवर को उसके सेफ्टी कवर में डालकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर उक्त पेन ड्राईव को एक सफैद कपडे की थैली में डालकर सीलचीट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। डिजीटल टेप रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड वार्ता की क्लीप की कार्यालय कम्प्यूटर की सहायता से दो डीवीडी श्री योगेन्द्रसिंह कानि से तैयार करवाकर दोनों डीवीडी पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। एक डीवीडी को सफेद कपड़े की थैली में डालकर सीलमोहर कर थैली पर भी सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। एक डीवीडी को अन्वेषण प्रयोजनार्थ खुली हालात में कब्जा एसीबी लिया गया। डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आगे की कार्यवाही में काम लेने हेतु सुरक्षित अपने पास रखा गया। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की शिल्ड शुदा डीवीडी व एक खुली डीवीडी तथा एक शिल्ड शुदा पेन ड्राईव को श्री राजेश कुमार मुख्य आरक्षक को सुपुर्द कर जमा कार्यालय के मालखाना में करवाये गये। परिवादी श्री पूनमराम को रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था कर कल दिनांक 12.07.2022 को वक्त 8 एएम पर ब्यूरो कार्यालय एसयू बीकानेर में उपस्थित होने की हिदायत कर फारीग किया गया। जरिये तहरीर दो गवाह तलब करने पर दिनांक 11.07.2022 वक्त 4.55 पीएम पर श्री जमील अहमद कानि नम्बर 147 अपने साथ दो कर्मचारियों को लेकर उपस्थित आया। मन निरीक्षक पुलिस द्वारा उक्त दोनो कर्मचारियों को परिचय देते हुए उनका परिचय पूछा तो एक ने अपना नाम श्री हेमन्त शर्मा कनिष्ठ सहायक व दूसरे कर्मचारी ने अपना नाम श्री रामनिवास पटीर कनिष्ठ सहायक, कार्यालय सहायक अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग उ.वि. एवं राजस्व उप खण्ड—चतुर्थ बीकानेर होना बताया। उक्त दोनो कर्मचारियों को कल दिनांक 12.07.2022 वक्त 8.30 एएम पर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आने हेतु वक्त 05.00 पीएम पर बाद हिदायत रूखस्त किया गया।

दिनांक 12.07.2022 वक्त 09.00 ए.एम. पर गवाह श्री हेमन्त शर्मा कनिष्ठ सहायक व श्री रामनिवास पटीर कनिष्ठ सहायक कार्यालय में उपस्थित आये। उक्त दोनो गवाह को गोपनीय कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह के रूप में शामिल रहने के लिए पूछा तो दोनो ने अपनी सहमति प्रदान की। परिवादी श्री पूनमराम ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया तथा बताया कि पटवारी द्वारा हमारे पांच व्यक्ति के नाम नामांतकरण दर्ज करने के बदले में 1000—500 रू प्रति व्यक्ति के हिसाब से मांगे थे। इसलिए मैं प्रत्येक व्यक्ति के 500—500 रू के हिसाब से 2500 रू बनते है मगर मै 3000 रू रिश्वत राशि लेकर आया हूं। तत्पश्चात परिवादी श्री पूनमराम व दोनो स्वतंत्र गवाह श्री हेमन्त शर्मा व श्री रामनिवास पटीर का आपस में परिचय करवाया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दोनो गवाहो द्वारा पढा गया व रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के तथ्यों के बारे में दोनो गवाहो को बताया गया। मन पुलिस निरीक्षक के निर्देश पर रूबरू गवाहान के परिवादी द्वारा कार्यवाही हेतु 500—500 के 6 नोट कुल राशि 3000/— रूपये भारतीय मुद्रा के प्रस्तुत किये, जिनका विवरण फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित कर उस फिनोफथलीन पाउडर लगाने एवं दृष्टांत की कार्यवाही श्री यजवेन्द्र सिंह कनिष्ठ सहायक से करवाई गई। तत्पश्चात श्री यजवेन्द्र सिह के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देश पर दोनों गवाहान, परिवादी एवं ट्रेप पार्टी में शामिल समस्त स्टाफ ने अपने—अपने हाथ साफ पानी एवं साबुन से धुलवाये गये। वक्त लेन देन वार्ता को रिकार्ड करने हेतु कार्यवाही में पहले प्रयुक्त कार्यालय का डिजिटल टेप रिकार्डर परिवादी श्री पुनमराम को सुपुर्द किया गया। मन पुलिस निरीक्षक ने अपने मोबाईल में परिवादी के मोबाईल नम्बर एवं परिवादी के मोबाईल में मन निरीक्षक पुलिस के मोबाईल नम्बर दर्ज किये। इस कार्यवाही की फर्द पेशकसी एवं सुपुर्दगी नोट नियमानुसार मुर्तिब कर शामिल कागजात की गई। तत्पश्चात मन निरीक्षक पुलिस, परिवादी श्री पुनमराम, स्वतंत्र गवाह श्री हेमन्त शर्मा, श्री रामनिवास पटीर, श्री मंगतुराम मुख्य आरक्षक नम्बर 71, श्री राजेश कुमार मुख्य आरक्षक नम्बर 76, श्री योगेन्द्र

[redacted]

सिंह कानि 482, श्री जमील अहमद कानि 147, श्रीमती बिमला महिला कानि 229, ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप, प्रिन्टर वगैराह के सरकारी वाहन टवेरा मय चालक श्री महेश सिंह के ट्रेप कार्यवाही हेतु नोखा के लिए रवाना शुदा तहसील कार्यालय नोखा से थोडा आगे रेलवे लाईन के पास पहुंचे। परिवादी को आवश्यक हिदायत देकर मय डिजिटल वाईस रिकार्डर चालु कर आरोपिया से सम्पर्क करने हेतु रवाना किया। उनके पीछे पीछे श्री योगेन्द्र सिंह कानि, गवाह श्री रामनिवास पटीर, श्रीमती बिमला महिला कानि का आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया। मन निरीक्षक पुलिस, श्री राजेश कुमार मुख्य आरक्षक, श्री मंगतुराम मुख्य आरक्षक, गवाह श्री हेमन्त शर्मा व श्री जमील अहमद कानि के पीछे पीछे रवाना हुआ। परिवादी पुनमराम ने तहसील परिसर के पीछे बने पंचायत समिति के एक क्वार्टर में प्रवेश किया तथा उसके पीछे श्रीमती बिमला महिला कानि भी उक्त क्वाटर में प्रवेश हुई। शेष सभी उक्त क्वाटर के आस पास अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के गोपनीय ईशारे के इंतजार में मुकीम हुवे। कुछ समय बाद परिवादी बिना गोपनीय ईशारा किये वापिस आया। इस पर डिजिटल टेप रिकार्डर को परिवादी से लेकर उसको बंद कर अपने पास रखा। परिवादी ने मन निरीक्षक पुलिस को बताया कि मैं पटवारी अन्नी के ऑफिस में जाकर उनसे मेरे काम के बारे में बातचीत की उस समय वहां दो तीन व्यक्ति और थे। मैने रिश्वती राशि का कहा तो उन्होने आशु मेघवाल रायसर को देने के लिए कहा तथा यह भी कहा आपका इंतकाल दर्ज होने के बाद दे देना। पटवारी से हुई वार्ता को मैने ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड किया। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक, परिवादी, गवाहान व ब्यूरो स्टाफ को साथ लेकर वहां से रवाना होकर ब्यूरो की गाडी के पास पहुंचा। डिजिटल टेप रिकार्डर को मन पुलिस निरीक्षक द्वारा चालु कर सुना गया तो परिवादी के कथन की ताईद हुई। परिवादी ने बताया कि आशु मेघवाल मेरे गांव का है तथा तहसील के पास ही ई मित्र की दुकान कर रखी है। आशु मेघवाल रायसर के बारे में परिवादी द्वारा गोपनीय रूप से पता कर बताया कि वह अपनी दुकान पर नहीं है। समस्त हालात श्रीमान अति.पुलिस अधीक्षक को निवेदन किये गये। मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान सहित गोपनीय स्थान पर मुकीम हुआ। श्री आशु अपनी ई मित्र की दुकान पर होने की जानकारी मिलने पर परिवादी को डिजिटल टेप रिकार्डर चालु कर श्री आशु के पास उनकी ई मित्र की दुकान पर भेजा तथा श्री राजेश कुमार मुख्य आरक्षक व श्रीमती बिमला महिला कानि को आरोपिया की निगरानी हेतु आरोपिया के ऑफिस की तरफ रवाना किया। कुछ समय बाद परिवादी बिना गोपनीय ईशारा किये ई मित्र की दुकान से बाहर आकर श्री योगेन्द्र सिंह कानि से बात कर मन पुलिस निरीक्षक के पास पहुंचा। परिवादी से डिजिटल टेप रिकार्डर प्राप्त कर बंद कर अपने पास रखा। परिवादी ने बताया कि आशु ने बातचीत में कहा कि मै अन्नी पटवारी के लिए कभी पैसे नही लेता, न उन्होने मुझे पैसे के लिए कहा है। मैने तो काम करवाया था तब उन्होने मेरे से तो पैसे नहीं लिये। जिस पर श्री राजेश कुमार मुख्य आरक्षक व श्रीमती बिमला महिला कानि को ईशारा कर सरकारी वाहन के पास बुलाया गया। तत्पश्चात मन निरीक्षक पुलिसि मय हमराहियान सहित जरिये सरकारी वाहन के वहां से रवाना होकर गोपनीय स्थान पर पहुंच कर डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो परिवादी के कथनों की ताईद हुई। परिवादी की जेब से रिश्वती राशि गवाह श्री हेमन्त शर्मा से निकलवाकर एक अखबार में लिपटवाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाई गई। परिवादी को हिदायत की गई की आरोपिया आपसे सम्पर्क करे तो अविलम्ब मुझसे सम्पर्क करे। परिवादी को ट्रासंक्रिप्ट बाबत साथ चलने का कहा तो उसने कहा कि मुझे अभी घर जाना है मैं बाद मे आपके कार्यालय में हाजिर आ जाउंगा। समस्त हालात श्रीमान अति.पुलिस अधीक्षक को निवेदन किये गये । बाद हिदायत परिवादी को रूखस्त किया गया तथा मन पुलिस निरीक्षक हमराहियान सहित ट्रेप बॉक्स, फिनोपथलीन पाउडर युक्त रिश्वती राशि 3000 रू, लैपटॉप,प्रिन्टर ईत्यादी के मय सरकारी वाहन से बीकानेर के लिए रवाना शुदा कार्यालय हाजा पहुचा। डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड मन पुलिस निरीक्षक के पास सुरक्षित रखा गया। पाउडर युक्त रिश्वती राशि 3000 रू ट्रेप बॉक्स में रखे हुए ट्रेप बॉक्स सहित श्री राजेश कुमार मुख्य आरक्षक से मालखाने में सुरक्षित रखवाये गये। दोनो गवाहान को आवश्यक हिदायत कर रूखस्त किया।

दिनांक 20.07.2022 वक्त 08.30 ए.एम पर श्री योगेन्द्र सिंह कानि ने जरिये दूरभाष बताया कि परिवादी श्री पुनमराम ने मुझे फोन करके कहा कि अन्नी पटवारी ने कल शाम को मेरे भाई को फोन करके कहा कि आपका काम हो गया है आप पैसे लेकर कल आ जाओं। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री योगेन्द्र सिंह कानि को निर्देश दिये गये कि आप परिवादी को कहो की वह नोखा में ही मिले, हम वही पर पहुंच रहे है। मन पुलिस निरीक्षक द्वारा ब्यूरो के स्टाफ व दोनो स्वतंत्र गवाह को तुरन्त ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आने हेतु पाबंद करने बाबत श्री राजेश कुमार मुख्य आरक्षक को निर्देश दिये। हालात श्रीमान अति.पुलिस अधीक्षक को जरिये दूरभाष निवेदन किये। गवाह श्री हेमन्त शर्मा व श्री रामनिवास पटीर तलबीदा ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। गवाह को ट्रेप कार्यवाही के संबंध में अवगत कराया। श्री बजरंग सिह मुख्य आरक्षक कार्यालय अति. पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो बीकानेर से ट्रेप कार्यवाही में इमदाद हेतु उपस्थित आये। प्राईवेट वाहन इनोवा मय चालक के भी कार्यालय में उपस्थित आया। मन पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार पाउडर लगी रिश्वती राशि 3000 रू रूबरू दोनो गवाहान के मालखान से निकलवाकर श्री राजेश कुमार मुख्य आरक्षक से मन पुलिस

निरीक्षक के निजी वाहन के डेसबोर्ड में रखवा मन पुलिस निरीक्षक, स्वतंत्र गवाह श्री हेमन्त शर्मा, श्री रामनिवास पटीर, श्री बजरंग सिंह मुख्य आरक्षक, श्री राजेश कुमार मुख्य आरक्षक नम्बर 76, श्री योगेन्द्र सिंह कानि 482, श्री जमील अहमद कानि 147, श्री दामोदर सिंह कानि 137, श्रीमती हजारा पठान महिला कानि 113, ट्रेप बॉक्स, पाडडर लगी रिश्वती राशि 3000 रू, डिजिटल टेप रिकार्डर मय मैमोरीकार्ड, लैपटॉप, प्रिन्टर वगैराह के प्राईवेट वाहन इनोवा मय चालक, मन निरीक्षक पुलिस की निजी कार के ट्रेप कार्यवाही हेतु नोखा के लिए रवाना होकर नवली गेट फाटक नोखा से पहले अंडरब्रीज पुलिया के पास पहुंचा, जहां पर परिवादी श्री पुनमराम उपस्थित मिला। परिवादी श्री पुनमराम ने मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि अन्नी पटवारी ने मेरे भाई को कल फोन करके कहा कि आपका काम हो गया है आप कल पैसे लेकर आ जाओं। इसलिए अन्नी पटवारी जी आज मेरे से रिश्वती राशि 3000 रू मांग के अनुसार ले लेगी तथा पटवारीजी अभी अपने कार्यालय में ही है। जिस पर दोनो गवाहान के समक्ष श्री राजेश कुमार मुख्य आरक्षक से मन निरीक्षक पुलिस की निजी कार के डेसबोर्ड में रखी फिनोपथलीन पाउडर युक्त रिश्वती राशि 3000 रू निकलवाकर परिवादी श्री पुनमराम के पहने हुए शर्ट की उपर की बायी जेब में रखवाई जाकर श्री राजेश कुमार मुख्य आरक्षक के दोनो हाथों को साफ पानी से धुलवाये गये। परिवादी को डिजिटल टेप रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड (जिसमें दिनांक 08.07.2022 को परिवादी व आरोपिया अन्नीदेवी के मध्य रिश्वती राशि मांग सत्यापन के समय हुई वार्ता रिकार्ड है) सुपुर्द कर आरोपिया पटवारी से सम्पर्क करने हेतु आवश्यक हिदायत देकर वक्त 01.30 पीएम पर परिवादी श्री पुनमराम व श्री योगेन्द्र सिंह कानि को परिवादी की मोटर साईकिल से आरोपिया के कार्यालय की तरफ रवाना किया। उनके पीछे पीछे मन निरीक्षक पुलिस मय ट्रेप पार्टी सदस्य मय वाहनो से पंचायत समिति के पीछे आरोपिया के कार्यालय के आस पास पहुंच वाहनों को साईड में लगा कर अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के गोपनीय ईशारे के इंतजार में मुकीम हुवे। कुछ समय बाद परिवादी बिना गोपनीय ईशारा किये वापिस मन पुलिस निरीक्षक के पास आया। मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी से डिजिटल टेप रिकार्डर लेकर उसको बंद करना चाहा तो डिजिटल टेप रिकॉर्डर पूर्व से बंद था। डिजीटल टेप रिकॉर्डर चालू कर चैक किया तो वार्ता रिकॉर्ड नहीं होना पायी गई। परिवादी ने पूछने पर बताया कि मेरा भाई अचानक आने से हो सकता है जल्दी बाजी में बटन नहीं दबा जिससे टेप चालू नहीं हुआ है। परिवादी ने मन निरीक्षक पुलिस को बताया कि मैं पटवारी अन्नी के ऑफिस में जाने लगा तो वही पर मेरा भाई श्री फताराम मुझे मिल गया और वह मेरे साथ ही अन्नी पटवारी के पास गया। पटवारी के पास काफी भीड होने के कारण उनके द्वारा हमारे से बातचीत करते हुए साईड में आकर धीरे से घर पर पैसे लेकर आने हेतु कहा। जिस पर परिवादी के पहने हुए शर्ट की उपर की बांयी जेब में से रिश्वती राशि श्री राजेश कुमार मुख्य आरक्षक से निकलवाकर रूबरू गवाहान के मन निरीक्षक पुलिस की गाडी के डेसबोर्ड में रखवायी गई तथा परिवादी एवं श्री योगेन्द्र सिह कानि को आरोपिया के निवास स्थान के बारे में जानकारी करने हेतु परिवादी की मोटरसाइकिल से रवाना किया। शेष ट्रेप पार्टी सदस्य वाहनों में बैठ कर सुरक्षित गोपनीय स्थान पर पहुंच कर मुकीम हुए। परिवादी श्री पुनमराम व श्री योगेन्द्र सिंह कानि मय परिवादी की मोटर साईकिल के मन निरीक्षक पुलिस के पास आये तथा श्री योगेन्द्र सिंह ने कहा आरोपिया पटवारी की निवास स्थान नोखा से सलुण्डिया रोड पर है तथा परिवादी ने बताया कि अन्नी पटवारी अपने कार्यालय से फ्री होते ही वह अपने निवास स्थान पर जायेगी तथा वहां पर मेरे से रिश्वती राशि ले लेगी। जिस पर परिवादी व श्री योगेन्द्र सिंह कानि को आरोपिया पर निगरानी रखने हेतु उनके कार्यालय की तरफ रवाना किया। शेष ट्रेप पार्टी सदस्य आरोपीया के निवास स्थान के आसपास मुकीम रहे। कुछ समय बाद श्री योगेन्द्र सिंह कानि मय परिवादी के मन पुलिस निरीक्षक व ट्रेप पार्टी सदस्यों के पास आये तथा श्री योगेन्द्र सिंह कानि ने बताया कि अभी तब आरोपिया पटवारी अपने कार्यालय कक्ष में है तथा उनके पास भीड भाड ज्यादा है तथा परिवादी ने बताया कि अभी रात्रि का समय हो रहा है इसलिए अन्नी पटवारीजी अभी मेरे से रिश्वती राशि नहीं लगी। कल सुबह करीब 8.30–9.00 बजे के लगभग मैं पटवारीजी के निवास स्थान पर जाउंगा तब वह मेरे से रिश्वती राशि ले लेगी। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा जरिये दूरभाष श्रीमान अति.पुलिस अधीक्षक को हालात निवेदन किया। निर्देशानुसार परिवादी को आवश्यक हिदायत कर रूखस्त किया तथा मन निरीक्षक पुलिस मय ट्रेप पार्टी, लेपटॉप प्रिन्टर, पाउडर युक्त रिश्वती राशि 3000 रू, डिजिटल टेप रिकार्डर वगैरा जरिये वाहनों के बीकानेर के लिए वक्त 7.00 पीएम पर रवाना शुदा कार्यालय हाजा पहुचा। डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड मन पुलिस निरीक्षक के पास सुरक्षित रखा गया। फिनोपथलीन पाउडर युक्त रिश्वती राशि 3000 रू, ट्रेप बॉक्स मालखाने में सुरक्षित रखवाये गये। दोनो गवाहान को आवश्यक हिदायत कर प्रात 7.00एएम पर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आने हेतु पाबंद कर रूखस्त किया। प्राईवेट वाहन चालक को प्रातः 7.00 एएम पर वाहन लेकर कार्यालय में उपस्थित आने हेतु पाबंद कर रवाना किया।

दिनांक 21.07.2022 को दोनो स्वतंत्र गवाह श्री हेमन्त शर्मा व श्री रामनिवास पटीर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। प्राइवेट वाहन चालक मय वाहन के भी उपस्थित आया। मन पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार फिनोफ्थलीन पाउडर लगी रिश्वती राशि 3000 रू रूबरू दोनो गवाहान के मालखान से निकलवाकर श्री

राजेश कुमार मुख्य आरक्षक से प्राइवेट वाहन इनोवा के डेसबोर्ड में रखवाकर मन पुलिस निरीक्षक, स्वतंत्र गवाह श्री हेमन्त शर्मा, श्री रामनिवास पटीर, श्री बजरंग सिंह मुख्य आरक्षक, श्री राजेश कुमार मुख्य आरक्षक नम्बर 76, श्री योगेन्द्र सिंह कानि 482, श्री जमील अहमद कानि 147, श्री दामोदर सिंह कानि 137, श्रीमती हजारा पठान महिला कानि 113, श्रीमती बिमला महिला कानि नम्बर 229 ट्रेप बॉक्स, फिनोफ्थलीन पाउडर लगी रिश्वती राशि 3000 रू, डिजिटल टेप रिकार्डर मय मैमोरीकार्ड, लैपटॉप, प्रिन्टर वगैराह के प्राईवेट वाहन इनोवा मय चालक, सरकारी टवेरा मय चालक श्री ज्ञानेन्द्र सिंह कानि ड्राईवर के ट्रेप कार्यवाही हेतु नोखा के लिए रवाना हुआ। परिवादी श्री पुनमराम को नोखा के पास बने रेलवे अण्डरब्रीज के पास मिलने हेतु जरिये दूरभाष पाबंद किया। मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के रेलवे 02 नं0 फाटक के पास नोखा अण्डरब्रीज पुलिया के पास पहुचा। जहां पर परिवादी श्री पुनमराम उपस्थित मिला। परिवादी श्री पुनमराम ने मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि अन्नी पटवारीजी अपने घर पर ही मिलेगी इसलिए मैं उनके निवास स्थान पर जाकर मेरे कार्य के बदले में उनके द्वारा मांगी गई रिश्वती राशि उनके मांगने पर दे दूंगा। जिस पर दोनो गवाहान के समक्ष श्री राजेश कुमार मुख्य आरक्षक से इनोवा गाडी के डेसबोर्ड में रखी फिनोपथलीन पाउडर युक्त रिश्वती राशि 3000 रू निकलवाकर परिवादी श्री पुनमराम के पहने हुए शर्ट की उपर की बायी जेब में रखवाई जाकर श्री राजेश कुमार मुख्य आरक्षक के दोनो हाथों को साफ पानी से धुलवाये गये। परिवादी को डिजिटल टेप रिकार्डर मय पूर्व में लगा मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर आरोपिया पटवारी से सम्पर्क करने हेतु आवश्यक हिदायत देकर परिवादी श्री पुनमराम व श्री योगेन्द्र सिंह कानि को परिवादी की मोटर साईकिल से आरोपिया के निवास स्थान की तरफ रवाना किया। उनके पीछे पीछे मन निरीक्षक पुलिस मय ट्रेप पार्टी सदस्य मय वाहनो से आरोपिया के निवास स्थान सलुण्डिया रोड पर पहुच वाहनों को साईड में लगा कर अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के गोपनीय ईशारे के इंतजार में मुकीम हुवे। कुछ समय बाद परिवादी बिना गोपनीय ईशारा किये अपनी मोटर साईकिल से आरोपिया के निवास स्थान से नोखा की तरफ रवाना हो गया। मन निरीक्षक पुलिस मय ट्रेप पार्टी मय वाहनो के परिवादी के पीछे पीछे रवाना होकर परिवादी को ऑवरटेक कर पीछे पीछे आने का ईशारा कर नोखा बीकानेर रोड पर वृताधिकार वृत नोखा कार्यालय के सामने पहुंच वाहनो को रोक कर परिवादी से डिजिटल टेप रिकार्डर लेकर उसको बंद कर अपने पास रखा। परिवादी ने मन निरीक्षक पुलिस को बताया कि मैं पटवारी अन्नी के निवास स्थान पर गया तथा अन्नी पटवारी से मैने मेरे काम के संबंध में बातचीत की तो उसने कहा कि आपका काम हो गया आप एक दो दिन में ई मित्र से अपनी प्रति निकलवा लेना, पटवारी द्वारा मेरे से रिश्वती राशि नहीं ली, शायद उनको मेरे उपर शक हो गया है,अब वह मेरे से रिश्वती राशि नहीं लगी। जिस पर परिवादी के पहने हुए शर्ट की उपर की बांयी जेब में से रिश्वती राशि श्री राजेश कुमार मुख्य आरक्षक से निकलावाकर रूबरू गवाहान के इनोवा गाडी के डेसबोर्ड में रखवायी गई। परिवादी को फर्द ट्रासंक्रिप्ट बनाने के संबंध में बताया तब परिवादी ने कहा कि मेरे एक दो घर पर जरूरी कार्य है इसलिए मैं एक दो दिन में बीकानेर आकर फर्द ट्रासंक्रिप्ट बनवा दूंगा। जिस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत कर रूखस्त किया। मन निरीक्षक पुलिस मय ट्रेप पार्टी, लेपटॉप प्रिन्टर, फिनोपाथलीन पाउडर युक्त रिश्वती राशि 3000 रू, डिजिटल टेप रिकार्डर वगैरा जरिये वाहनों के बीकानेर के लिए रवाना होकर कार्यालय हाजा पहुचा। डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड मन पुलिस निरीक्षक के पास सुरक्षित रखा गया। पाउडर युक्त रिश्वती राशि 3000 रू गाडी के डेसबोर्ड से श्री राजेश कुमार मुख्य आरक्षक से निकलवाकर सुरक्षित मालखाना में रखवाई गई, ट्रेप बॉक्स मालखाने में रखा। दोनो गवाहान को आवश्यक हिदायत कर रूखस्त किया। प्राईवेट वाहन चालक को रूखस्त रवाना किया।

दिनांक 03.09.2022 को परिवादी श्री पुनमराम उपस्थित आकर बताया कि अन्नी पटवारी रायसर तहसील नोखा जिला बीकानेर द्वारा हमारी जमीन का इन्तकाल दर्ज कर दिया है तथा उसको शक हो गया है इसलिए वह मेरे से रिश्वती राशि नहीं लेगी। श्री पुनमराम ने एक टाईपशुदा प्रार्थना पत्र पेश कर पूर्व में पेश की गई रिश्वती राशि 3000/– रूपये लौटाने का निवेदन किया। जिस पर तलवीदा गवाहान श्री हेमंत शर्मा व श्री रामनिवास पटीर को उपस्थित आने पर प्रकरण के हालात से अवगत करवाकर परिवादी श्री पूनमराम व आरोपिया श्रीमती अन्नी पटवारी रायसर तहसील नोखा जिला बीकानेर तथा परिवादी श्री पुनमराम व आसूराम के मध्य दिनांक 12.07.2022 व 21.07.2022 को हुई रूबरू वार्ताऐं जो ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है, जो मन् पुलिस निरीक्षक के पास सुरक्षित रखा है को कार्यालय कम्प्युटर से उक्त दोनों गवाहान, परिवादी श्री पुनमराम व श्री योगेन्द्रसिंह कानि के समक्ष कनेक्ट कर सुन सुन कर ट्रासंक्रिट तैयार की गई। डिजीटल टेप रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड वार्ता दिनांक 12.07.2022 की दो व दिनांक 21.07.2022 की एक कुल तीन क्लीप को दो नये पेन ड्राईव में श्री योगेन्द्रसिंह कानि से कॉपी करवाकर एक पेन ड्राईवर को उसके सेफ्टी कवर में डालकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर उक्त पेन ड्राईव को एक सफैद कपडे की थैली में डालकर सीलचीट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। एक पेन ड्राईव को अनुसंधान हेतु खुला रख सफैद कपड़े की सहायता से सीलचीट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 08.07.2022 की वार्ता व दिनांक 12.07.2022 व 21.07.2022 की वार्ता रिकॉर्ड है का मैमोरी कार्ड, डिजीटल टेप

रिकॉर्डर में स्थापित है को डिजीटल टेप रिकॉर्डर से निकालकर उक्त मैमोरी कार्ड को उसके सेफ्टी कवर में डालकर एक सफेद कपडे की थैली में सीलचीट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द ट्रांसक्रिप्ट वार्तालाप तैयार कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द नमूना पीतल की सील नम्बर 22 व नष्टीकरण पीतल की सील नम्बर 22 तैयार की जाकर शामिल कागजात की गई। श्री पूनमराम को उसके द्वारा पूर्व में पेश की गई राशि 3000 रूपये (500--500 रूपये के 6 नोट) लौटाये जाकर रसीद प्राप्त की गई। परिवादी व दोनो गवाहान को बाद आवश्यक कार्यवाही फारीग किया गया।

इस प्रकार उपरोक्त घटनाक्रम से पाया गया कि परिवादी श्री पूनमराम पुत्र श्री पेमाराम मेघवाल जाति मेघवाल निवासी रायसर तहसील नोखा जिला बीकानेर से आरोपिया श्रीमती अन्नी पटवारी पटवार मण्डल रायसर तहसील नोखा जिला बीकानेर द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों का दुरूपयोंग करते हुए परिवादी व उनके रिश्तेदारों के नाम नामान्तकरण दर्ज करने की एवज में प्रत्येक व्यक्ति के हजार–हजार, पांच–पांच सौ रूपये के हिसाब से पांच व्यक्तियों के लिए रिश्वती राशि की मांग करने के तथ्य पाये गये। इस प्रकार आरोपी श्रीमती अन्नी पटवारी पटवार मण्डल रायसर तहसील नोखा जिला बीकानेर का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 के तहत प्रथम दृष्टया घटित होना पाया जाता है। अतः आरोपीया श्रीमती अन्नी पुत्री श्री कुम्भाराम निवासी ग्राम पोस्ट अलाय तहसील व जिला नागौर हाल पटवारी पटवार मण्डल रायसर तहसील नोखा जिला बीकानेर अन्य के विरुद्ध उपरोक्त धारा में बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर की सेवा में प्रेषित है।

भवदीय,

(गुरमेल सिंह)
पुलिस निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
स्पेशल युनिट बीकानेर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री गुरमेल सिंह, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. बीकानेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपिया श्रीमती अन्नी, पुत्री श्री कुम्भाराम, निवासी ग्राम पोस्ट अलाय तहसील व जिला नागौर हाल पटवारी, पटवार मण्डल रायसर, तहसील नोखा, जिला बीकानेर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 422/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर।

क्रमांक 3671-74 दिनांक 21.10.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बीकानेर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, बीकानेर।
4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. बीकानेर।

21.10.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।